

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

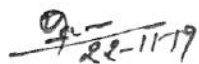
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश २५१७ /2019 दिनांक २२.11.2019

श्री रवि कुमार गुप्ता (RJ0068), जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को दिनांक 04.11.2019 से 08.11.2019 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 03.11.2019 एवं 09.11.2019 से 10.11.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक/विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, टोंक ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से



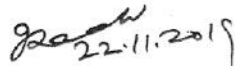
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

दिनांक 22.11.2019

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/26/1992/११०२७

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 81 दिनांक 11.11.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री रवि कुमार गुप्ता (RJ0068), जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक ।
5. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, टोंक ।



सहायक रजिस्ट्रार